न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 236/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2034/383

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1.चेतनराम पुत्र नरसिंगराम जाति जाट निवासी नेवरी तहसील कल्याणपुर 2.जेठाराम पुत्र प्रतापाराम 3.पुरखाराम पुत्र मूलाराम 4.पोकरराम पुत्र प्रतापराम जाति जाट निवासी नागाणा तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा	राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर	

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 20.8.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम घड़सी का बाड़ा तहसील कल्याणपुर की मूल खसरा संख्या 102 व 105 अवस्थित थी। जिसका सहखातेदारान द्वारा बंटवाड़ा करवाए जाने पर खसरा संख्या 225/102 व 228/105 प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी,खसरा संख्या 224/102 व 230/105 प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी व खसरा संख्या 226/102,229/105 प्रार्थी संख्या 03 की खातेदारी एवं खसरा संख्या 227/105 प्रार्थी संख्या 04 की खातेदारी मे दर्ज हुए। प्रार्थीगण का मौके पर बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा माफिक बंटवाड़ा व कब्जा काश्त के अनुरूप तरमीम नही कर उसके विपरीत रेकर्ड मे तरमीम कर दी गई।। अशुद्व तरमीम के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद बना रहता है। अतं विवादित आराजी के मूल खसरा संख्या 105 से नए बने खसरा संख्या 227/105,228/105,229/105 व 230/105 की विदयमान

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तरमीम को निरस्त की जाकर मौके पर कब्जा काश्त व परिशिष्ट अ मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नही कर मौका रिपोर्ट पेश की गई। वक्त बहस विप्रार्थी अनुपस्थित रहे।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम घड़सी का बाड़ा तहसील कल्याणपुर की मूल खसरा संख्या 102 व 105 अवस्थित थी। जिसका सहखातेदारान द्वारा बंटवाड़ा करवाए जाने पर खसरा संख्या 225/102 व 228/105 प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी,खसरा संख्या 224/102 व 230/105 प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी व खसरा संख्या 226/102,229/105 प्रार्थी संख्या 03 की खातेदारी एवं खसरा संख्या 227/105 प्रार्थी संख्या 04 की खातेदारी मे दर्ज हुए। प्रार्थीगण का मौके पर बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा माफिक बंटवाड़ा व कब्जा काश्त के अनुरूप तरमीम नही कर उसके विपरीत रेकर्ड मे तरमीम कर दी गई।। अशुद्व तरमीम के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद बना रहता है,इसके कारण पक्षकारान को अपूरणीय क्षति हो रही है तथा सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही हो रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विप्रार्थी तहसीलदार कल्याणपुर ने अपनी रिपोर्ट मे स्वीकार किया है कि विवादित भूमि की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है। अतं तहसीलदार कल्याणपुर की रिपोर्ट मुताबिक विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्त की जाती है,तो प्रार्थीगण को आपति नही है।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम घड़सी का बाड़ा तहसील कल्याणपुर की मूल खसरा संख्या 105 रकबा 494.06 बीघा भूमि अवस्थित थी। मूल खसरान से विभक्त होकर खसरा संख्या 227/105,228/105,229/105 व 230/105 कायम हुए,जिसके प्रार्थीगण खातेदारान है। विवादित आराजी का वर्तमान लटढा नक्शा व मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित तरमीम नक्शा अवलोकन से प्रतीत होता है कि विदयमान तरमीम मौका कब्जा काश्त के विपरीत हो रखी है,जो कि प्रार्थीगण तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार प्रतीत होते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी की तरमीम गलतहो रखी है,जो कि पत्रावली के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। मौका रिपोर्ट अवलोकन से प्रतीत होता है कि भूमिघारक तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा विवादित आराजी का मौका

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

मुआयना नही किया गया है और मौका रिपोर्ट उसके अधीनस्थ हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है। न्यायालय हाजा का अभिमत है कि भूमिधारक तहसीलदार कल्याणपुर स्वंय विवादित आराजी का पक्षकारान को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति मे मौका मुआयना करते हुए तरमीम दुरूस्ती करे। ऐसी सूरत मे प्रकरण तहसीलदार कल्याणपुर को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–घड़सी का बाड़ा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 227/105,228/105,229/105 व 230/105 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी का स्वंय मौका मुआयना करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका कब्जा काश्त स्थिति की जांच कर नये सिरे से नियमानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावे। पालना रिपोर्ट से न्यायालय हाजा को अवगत करावे।

(अशोक कुमार) 20/08/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 20.8.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा 20/08/2025